न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 216/2008

वादीः–

1. कन्हैयालाल पुत्र सुवालाल
   जाति–कलाल, निवासी– आ.कालू,
   तहसील– जैतारण, जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. झणकारी पत्नि पोकरराम
2. उगमाराम पुत्र पोकरराम
3. रामचन्द्र पुत्र पोकरराम
4. रूपाराम पुत्र पोकरराम
   दाना के का.मु. शंकर के का.मु.
5. अणचाई पत्नि शंकर
6. सुगनाई पुत्री शंकर
7. रामदीन पुत्र दाना
8. बोदू पुत्र नगा
   पांचाराम पुत्र तुलछाराम महाराज
   पुत्र हिमताराम जाट के का.मु
9. कमला पत्नि पांचाराम
10. अमराराम पुत्र पांचाराम
11. उम्मेदराम पुत्र पांचाराम
    महाराम पुत्र हिमताराम के का.मु
12. रामनिवास पुत्र महाराम
13. ढ्गालू पुत्र महाराम
14. माडी बेवा महाराम
    जातियान– जाट निवासीगण– आ. कालू तहसील– जैतारण
    जिला–पाली राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं 151 सीपीसी

तारीख रजू:.16/09/2008

उपस्थितः– 1. श्री करनीदान चारण, अधिवक्ता वादी ।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 18/11/2019**

वकील मय प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं 151 सीपीसी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण द्वारा सरहद मौजा आ कालू की विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1343 रकबा 152 बीघा 06 बिस्वा की 1/12 वें हिस्से की भूमि जरिये लिखत पंजीबद्ध बेचान दिनांक 26.06.1981 के जरिये खरीद कर उक्त हिस्से की भूमि के बाबत बेचान के आधार पर खरीद कर उक्त हिस्से की भूमि के

Scanned by CamScanner

बाबत बेचान के आधार पर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया जो श्रीमान के न्यायालय में लम्बित है व आज उक्त प्रकरण श्रीमान द्वारा राजस्व लोक अदालत में आ.कालू मुख्यालय पर सुनवाई हेतु मुकर है व दोनों पक्षों को सूचित कर तारीख पेशी मुकर कर रखी है। वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित उक्त वर्णित खसरा नंबर 1343 मौजा आ.कालू हाल बस्सी 1/12 वें हिस्से की दिनांक 26.06.1981 का लिखत पंजीबद्व बेचान सिविल जज जैतारण द्वारा अपने मूल दिवानी वाद संख्या 51/1997 के द्वारा उक्त अनवान वादीगण झणकारी वगैरा बनाम प्रतिवादीगण कन्हैयालाल वगैरा दावा बाबत मन्सूखी बेचान घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद से अपने निर्णय डिक्री दिनांक 03.09.2007 द्वारा उक्त बेचान निरस्त किया जा चुका है। व उक्त भूमि का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। व वादी के विरूद्व सही निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जा चुकी है। उक्त निर्णय दिनांक 07.09.2007 व उक्त वादी डिक्री पर्चा दिनांक 07.09.2007 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है उक्त निर्णय व डिकी की प्रथम अपील सिविल अपील डिक्री संख्या 16/2007 अपर जिला न्यायाधीश जैतारण द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.07.2011 के द्वारा खारीज की जा चुकी हे। एवं सिविल जज जैतारण के निर्णय दिनांक 07.07.2007 की पुष्टि एडीजे जैतारण द्वारा की जा चुकी है। उक्त प्रथम अपील के निर्णय व डिक्री पर्चा दिनांक 26.07.2011 की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है वादी कन्हैयालाल द्वारा सिविल जज, जैतारण के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.09.2007 व प्रथम अपील एडीजे जैतारण के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2011 की द्वितीय अपील डिक्री माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी सिविल द्वितीय अपील 78/2011 पेश की जिसका निर्णय दिनांक 21.01.2015 को माननीय न्यायाधिपति जस्टिस श्री विनोद जी कोठारी द्वारा निर्णित की गई व अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। उक्त माननीय राज. उच्च. न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान निरस्त हो चुका है एवं प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है, व वादीगण के वादपत्र में वर्णित भूमि बाबत माननीय राज. उच्च. न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादीगण के विरूद्व अन्तिम निर्णय हो चुका है एवं वादीगण का वाद हेतुक समाप्त हो चुका है व अब यह वादी की आगे कार्यवाही बार्ड बाई लॉ है। जिससे वादपत्र को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वकील वादीगण जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं 151 सीपीसी पेश नहीं करना चाहतें है, जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वादी ने अंकित किया है कि " प्रतिवादी संख्या 01 से 04 पिता व पति स्वर्गीय पाकर से वादी ने उपरोक्त जमीन का 1/4 हिस्सा का 1/3 हिस्सा यानि कि कुल जमीन का 1/12 हिस्सा दो टूकड़ों में दिनांक 26.06.1981 को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीद कर ली है" इसी प्रकार वाद-पत्र के पैरा संख्या 05 में अंकित है कि "बैचान से और कब्जे की रूह से वादी जमीन मुतवादिया के 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हो चुका है।" पैरा संख्या 08 में वादी ने वादकारण अंकित करते हुए लिखा है कि " बिनाय दावा दिनांक 15.05.1995 को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक ने वादी के अधिकारों को चुनौती देनें व बेदखल करनें की धमकी देनें पर स्थान आनव्दपुर कालू में उत्पन्न हुआ।" इस प्रकार वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद का वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं वाद-पत्र के पैरा संख्या 08 में अंकित वाद-कारण का आधार दिनांक 26.06.1981 का पंजीकृत बैचाननामा है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विद्वान सिविल न्यायाधीश (क.ख) जैतारण द्वारा दीवानी वाद संख्या 51/97 निर्णय दिनांक 07.09.2007 द्वारा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करते हुए प्रतिवादी/प्रार्थी झणकारी, उगमाराम, रामचंद्र तथा रूपाराम को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा वादी/अप्रार्थी को उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण 01 से 04 एवं प्रार्थीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने बाबत जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका गया है। उक्त निर्णय की अपील विद्वान अपर जिला न्यायाधीश (फा.ट्रे.स.1) पाली, मुख्यालय जैतारण द्वारा दिनांक 26.07.2011 को निर्णित करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए विद्वान सिविल न्यायाधीश, जैतारण के निर्णय दिनांक 07.09.2007 की पुष्टि की गई, तत्पश्चात प्रकरण की द्वितीय अपील S. B. CIVIL SECOND APPEAL 781/2011 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 21.01.2015 द्वारा निर्णित करते हुए अपील अपीलार्थी को खारिज कर दिया। इस प्रकार प्रकरण में वाद का आधार पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.06.1981 सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज हो चुका है तथा दौरान-ए-बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी द्वारा भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का वाद अधिकार एवं वाद-कारण ही अस्तित्व में नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की:-

Scanned by CamScanner

.2017 (2) Civil Court Cases 219 (S.C)

. 2019 (2) Cicil Court Cases 610 (Rajasthan)

हमनें उपर्युक्त न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन, अवलोकन एवं मनन किया। हम पूर्ण सम्मान के साथ यह पाते हैं कि प्रस्तुत नजीरें वादी/अप्रार्थी के पक्ष में हुबहू चस्पा नहीं होती हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि वाद एवं वादहेतुक का आधार वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1343 रकबा 152 बीघा 06 बिस्वा की 1/12 वें हिस्से की भूमि का पंजीकृत बैचाननामा दिनांक 26.06.1981 को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जानें एवं प्रथम एवं द्वितीय अपील में भी उसकी पुष्टि कर दिए जानें से प्रकरण में वादी का वाद अधिकार एवं वाद–कारण उत्पन्न ही नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण अंतर्गत आदेश–07, नियम–11 सपठित धारा–151 सि.प्र.स. बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/11/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.27 16:37:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: